आखिरी जांच: 26 अक्टूबर 2026 · Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department

Medical Assistance (Himachal Pradesh BOCW Welfare Board)

बोर्ड पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के इलाज के बिल लौटाता है, गंभीर बीमारी के लिए अतिरिक्त सहायता के साथ।

क्या मिल सकता है

सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पतालों के बिल पर बोर्ड बाह्य इलाज के लिए साल में 50,000 रुपये तक और भर्ती इलाज के लिए साल में 1,00,000 रुपये तक देता है। गंभीर बीमारी में 5,00,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलती है।

किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित जिन्हें इलाज की जरूरत हो।

मुख्य शर्तें

- इलाज के बिल सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित या चुने गए अस्पताल या औषधालय के होने चाहिए।
- श्रमिक हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो और अंशदान नियमित जमा करता रहे।
- पंजीकरण के लिए आयु 18 से 60 साल हो और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन या निर्माण का काम किया हो।
- सहायता लेने के लिए हर साल 90 दिन के काम की मजदूरी पर्चियां श्रम कार्यालय में जमा करनी होती हैं।

दस्तावेज़

- हर साल 90 दिन के निर्माण कार्य की मजदूरी पर्चियां

आवेदन कैसे करें

1. अपने इलाके के श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में या बोर्ड के पोर्टल पर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कराएं और अंशदान नियमित जमा करें।
2. इस लाभ का आवेदन उसी श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भेजें, या पोर्टल के 'Apply For Benefits' पेज पर अपनी लाभार्थी आईडी से आवेदन करें।
3. हर साल की मजदूरी पर्चियां और कार्यालय जो और कागज मांगे वे साथ लगाएं, फिर कार्यालय से आवेदन की स्थिति पूछते रहें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://bocw.hp.gov.in/index.aspx
आधिकारिक आवेदन: https://bocw.hp.gov.in/PublicPages/ApplyForSchemes.aspx
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-bocw-medical-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।